अपील सूचना अधिकार संख्या 130/2021 (GCMS 2021/209) (आरटीआई नं. 21295117913753 2) दयानन्द शर्मा निवासी 5क–28, शिवाजी पार्क, अलवर (राज.) – 301001 बनाम प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दयानन्द शर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2021 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना देने से इंकार कर दिया, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने हेतु अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

1. श्रीमान् जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर कार्यालयों में शीघ्रलिपिक, निजी सहायक/अति. निजी सहायक के कितने पद स्वीकृत हैं।
2. सन 2000 से सूचना जारी करने की दिनांक तक उक्त कार्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापित कार्मिकों की सूची।
3. सन 2000 से सूचना जारी करने की दिनांक तक उक्त कार्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध अन्य संवर्ग के कार्मिकों के पदस्थापन की सूची।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 130/2021

4. सूचना जारी करने की दिनांक को उक्त कार्यालयों में शीघ्रलिपिक/निजी सहायक/अति. निजि सचिव के किस कार्यालय में कितने पद रिक्त, की सूची।
5. उक्त कार्यालयों में पदस्थापित शीघ्रलिपिकों/निजी सहायकों/अति. निजी सचिवों/निजी सचिवों की जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची की प्रति।

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित अपील द्वारा दयानन्द शमा बनाम प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8405 दिनांक 16.11.2021 द्वारा सूचित किया गया उनके द्वारा वांछित बिन्दु सं. 1 से 5 की सूचना प्रश्नात्मक/सृजनात्मक/राज्य कर्मचारियों के सेवा अभिलेख से सम्बन्धित है। सूचना प्रकटन में कोई व्यापक जनहित भी नहीं हैं अतः वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की चित्र प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचनाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या सूची की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

करना या सूचना की व्याख्या करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खाजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।

अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित कर दी गई है। कृपया अपील खारिज फरमावें।

-sd-

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 8405 दिनांक 16.11.2021 के द्वारा सूचित किया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)**(ञ)** के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना देय नहीं है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) निम्नानुसार अवलोकनीय है**

(ञ) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि वह जानकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का वह समाधान नही हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के सम्बन्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 22/2009 अनवानी केनरा बैंक बनाम सी.एस. श्याम में दिनांक 31.08.2017 के पैरा संख्या 12 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

> We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show-cause notices and orders of censure/punishment, etc. are qualified to be personal information as defined in clause (j) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee/officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual. Of course, in a given case, if the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, **appropriate orders could be passed but the petitioner cannot claim those details as a matter of right.**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2, 3, 5 में चाही गई सूचना कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी है जिसमें किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक हित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा [illegible] माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार **उक्त विवेचन के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested

रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना को अधिकार के रूप में प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। बिन्दु संख्या एक एवं चार की सूचना प्रश्नात्मक है। आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है जैसे कि क्यों, कैसे, कब और क्या। अपीलार्थी केवल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) में परिभाषित फाईल, दस्तावेज, कागजात या रिकॉर्ड आदि को इंगित करे विशिष्ट जानकारी मांग सकते है। फिर भी सूचना का अधिकार 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 व 4 की सूचना उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवा देवें।

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:59 IST
Reason: SelfAttested